राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

करण संख्या :– 34 / 2025 / दावा / बउनवान / राजेन्द्र कुमार बनाम राज0 सरकार
सीएमएस संख्या 2025 / 252

राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा निवासी माल बमोरी
तहसील मांगरोल जिला बारां

.........वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

..........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट 136 एल.आर. एक्ट

कील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

यरा दिनांकः 16.01.2025 **निर्णय दिनांक : 21.12.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थी जन्म से ही स्थायी रूप से ग्राम माल बमोरी तहसील मॉगरोल जिला बारां का निवासी है और काश्तकारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है।
2. यह कि खाता संख्या नया 360 पुराना 331 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 मे कम संख्या 7 पर अन्य सहखातेदारो के साथ प्रार्थी का नाम राजू पुत्र लटूर हिस्सा 1 / 32 दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड में नाम राजेन्द्र कुमार बैरवा दर्ज हो रहा है अन्य दस्तावेज पहचान पत्र, पास बुक, में भी राजेन्द्र बैरवा नाम दर्ज हो रहा है।
3. यह कि राजस्व रिकार्ड मे राजू पुत्र लटूर दर्ज हो जाने एंव अन्य सरकारी दस्तावेजो में राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र लटूरलाल बैरवा दर्ज होने से प्रार्थी को राजकीय योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि सरकारी दस्तावेजो में जो नाम दर्ज है उक्त नाम राजस्व रिकार्ड के नाम के साथ जोडा जावे जिससे प्रार्थी को समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
4. यह कि न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 खाता संख्या 360 मे दर्ज प्रार्थी का नाम राजू पुत्र लटूरलाल जाति चमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र लटूरलाल बैरवा अर्थात उसकी जाति चमार के स्था पर बैरवा दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।यह कि वादी ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल का निवासी है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 16.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/2089 दिनांक 15.09.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार मुताबिक पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालबगोरी की आराजी संवत् 2075–78 खाता सं. 360 में खसरा कुल किता 7 रकबा 6.07 है. में अन्य सहखातेदारों के साथ क.सं. 9 पर राजू पुत्र लटूर हिस्सा 1/32 जाति चमार सा. देह खातेदार दर्ज है। राजू का नाम जमाबंदी में विरासत के नामान्तरण सं. 1628 दि. 11.05.2022 से दर्ज हुआ है। राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र लटूर दोनो एक ही व्यक्ति है। इस व्यक्ति के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम राजेन्द्र दर्ज है। राजू को ही गांव में राजेन्द्र के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति गांव में मौजूद नहीं है। राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र लटूर की जाति जमाबंदी मे चमार दर्ज है। जो कि शुरू से ही सेंटलमेट से चलती आ रही है। जबकि व्यक्ति बैरवा समाज से संबंध रखता है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट, बयान बाबूलाल, राजेन्द्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ग्राम मालबगोरी की आराजी संवत् 2075–78 खाता सं. 360 में खसरा कुल किता 7 रकबा 6.07 है में वादी का नाम राजू पुत्र लटूरलाल जाति चमार के स्थान पर राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा दर्ज राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये ज़ाने के तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

(सौरभ भाम्बु)
सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल
मांगरोल